प्रस्ताव हेतु अनुरोध: मुम्बई में स्थित रा.आ.बैंक के परिसर हेतु वार्षिक अनुरक्षण संविदा

आरएफपी संदर्भ तिथि:- रा.आ.बैंक (एमआरओ)/ OUT05155/2020 दिनांकित 04 सितम्बर, 2020

प्रस्ताव हेतु अनुरोध (आरएफपी)- मुम्बई में राष्ट्रीय आवास बैंक के अधिकारियों के फ्लैट/ संपत्ति (विभिन्न स्थानों पर) एवं कार्यालयों के सिविल, इलेक्ट्रिकल, प्लम्बिंग, कार्पेंट्री तथा विविध कार्य हेतु अनुरक्षण सेवायें प्रदान करने के लिए एजेंसी का चयन

उप महाप्रबंधक

राष्ट्रीय आवास बैंक

तीसरी मंजिल, बॉम्बे लाइफ बिल्डिंग,

45, वीर नरीमन रोड, फोर्ट, मुंबई -400 001

फोन नंबर + 91-22- 22851560-62

फैक्स नंबर + 91-22-22851555

ई-मेल: romum@nhb.org.in

प्रस्ताव हेतु अनुरोध: मुम्बई में स्थित रा.आ.बैंक के परिसर हेतु वार्षिक अनुरक्षण संविदा

प्रस्ताव हेतु अनुरोध: मुम्बई में स्थित रा.आ.बैंक के परिसर हेतु वार्षिक अनुरक्षण संविदा

1.	**महत्वपूर्ण बोली विवरण**	
1.	बोली/निविदा/आरएफपी दस्तावेजों की बिक्री शुरु होने की तारीख	**04 सितम्बर, 2020**
2.	बोलीदाताओं के साथ बोली-पूर्व बैठक एवं स्थल दौरे हेतु तारीख एवं समय	**11 सितम्बर, 2020: 1130** बजे
3.	बोली दस्तावेजों की बिक्री हेतु अंतिम तारीख एवं समय	**25 सितम्बर, 2020: 1800** बजे
4.	बोली दस्तावेजों को प्राप्त करने की अंतिम तारीख एवं समय	**25 सितम्बर, 2020: 1800** बजे
5.	तकनीकी बोली खोलने की तारीख एवं समय	**28 सितम्बर, 2020: 1500** बजे
6.	बयाना - जमा राशि (प्रतिदेय, कृपया खंड 5.11 देखें)	75,000/-
7.	बोली पूर्व बैठक /बोलियां खोलने का स्थान	राष्ट्रीय आवास बैंक, तीसरी मंजिल, बॉम्बे लाइफ बिल्डिंग, 45, वीर नरीमन रोड, फोर्ट, मुंबई -400 001

टिप्पणी : -

- **बोलियों को उन बोलीदाताओं की उपस्थिति में खोला जाएगा जो उपरोक्त में भाग लेना चाहेंगे। उपरोक्त अनुसूची परिवर्तन के अधीन है। किसी भी परिवर्तन की सूचना रा.आ.बैंक की वेबसाइट पर प्रकाशित करने के माध्यम से दी जाएगी। इसके अतिरिक्त, कृपया ध्यान दें कि वाणिज्यिक बोली खोलने की तिथि, समय और स्थान बाद की तारीख में तकनीकी रूप से योग्य बोलीदाताओं को सूचित की जाएगी।**
- **इस आरएफपी के साथ दस्तावेजी साक्ष्य/कंपनी के माध्यम से प्रस्तुत सभी डाटा/सूचना को रिपोर्ट किया जाए एवं इस आरएफपी के प्रकाशन की तारीख को माना जाएगा।**

2. राष्ट्रीय आवास बैंक के बारे में

राष्ट्रीय आवास बैंक (रा.आ.बैंक), भारत सरकार के संपूर्ण स्वामित्व में एक सांविधिक संगठन है जिसकी स्थापना राष्ट्रीय आवास बैंक अधिनियम, 1987 ("अधिनियम") के तहत की गई है।

क. राष्ट्रीय आवास बैंक की स्थापना अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित उद्देश्यों को प्राप्त करने हेतु की गई है:

- आबादी के सभी वर्गों की जरूरत को पूरा करने और कुल मिलाकर वित्तीय प्रणाली के साथ आवास वित्त प्रणाली को एकीकृत करने हेतु ठोस, बेहतर, व्यवहार्य और लागत प्रभावी आवास वित्त प्रणाली को बढ़ावा देना
- विविध क्षेत्र और विभिन्न आय वर्ग को पर्याप्त तौर पर सहायता प्रदान करने हेतु समर्पित आवास वित्त संस्थानों के एक तंत्र को

बढ़ावा देना।

- इस क्षेत्र के लिए संसाधनों को बढ़ाना और आवास हेतु इन्हें उपलब्ध कराना।
- आवास ऋण को अधिक किफायती बनाना
- आवास निर्माण हेतु भवन निर्माण योग्य भूमि और निर्माण सामग्रियों की आपूर्ति के विस्तार को प्रोत्साहित करना और देश में आवासीय स्टॉक को अद्यतित करना।
- आवास हेतु सेवित भूमि के सुविधाप्रदाता और आपूर्ति कर्ता के तौर पर उभरने हेतु सार्वजनिक एजेंसियों को प्रात्साहित करना।

ख. रा.आ.बैंक का मुख्य कार्यालय नई दिल्ली में है और इसका क्षेत्रीय कार्यालय मुंबई में है। इसके प्रतिनिधि कार्यालय हैदराबाद, बेंगलुरु, कोलकाता और अहमदाबाद में है।

3. कार्य क्षेत्र:

बोलियां फोर्ट, मुंबई में बैंक की संपत्तियों और एमआरओ कार्यालय परिसर के निम्नलिखित स्थान पर सिविल, इलेक्ट्रिकल, प्लम्बिंग, कार्पेंट्री तथा विविध कार्य हेतु अनुरक्षण सेवाएं प्रदान करने के लिए आमंत्रित की जाती हैं।

संपत्ति विवरण	फ्लैट की सं.	संपत्ति का उपयोग / प्रकार
मोरू महल, बांद्रा (पश्चिम)	01	रिहायशी
नवरोज़ पाली, बांद्रा (पश्चिम)	01	रिहायशी
लवडेल सीएचएस, जुहू	01	रिहायशी

वसुंधरा, जानकी कुटीर, जुहू	01	रिहायशी
रहेजा एस्टेट, बोरीवली (पूर्व)	16	रिहायशी
तिलक नगर और वर्सोवा	एनए	खुले प्लॉट

परिशिष्ट क में विस्तृत कार्यक्षेत्र परिभाषित किया गया है।

4. संविदा की अवधि

बैंक द्वारा संतोषजनक पाए जाने वाले सेवा प्रदाता / कार्मिकों के कार्य निष्पादन की वार्षिक समीक्षा के अधीन संविदा तीन (3) वर्ष के लिए वैध होगा। एलओए स्वीकार करने की तिथि या रा.आ.बैंक द्वारा निर्णित इस तरह की तिथि संविदा के प्रारंभ होने की तिथि होगी ("प्रारंभिक तिथि")।

टिप्पणी:
यह आरएफपी ऐसे कार्यों, गतिविधियों, उत्तरदायित्वों और सेवाओं के वर्णन करने में परिपूर्ण नहीं है जिसके लिए सलाहकार जिम्मेदार होगा। बोलीदाता, इस निविदा की भागीदारी से, अप्रत्यक्ष रूप से इसकी पुष्टि करता है कि यदि कोई भी कार्य, गतिविधियां, उत्तरदायित्व या सेवाएं जो विशेष रूप से इस आरएफपी में वर्णित नहीं है, या विशेष रूप से वर्णित है लेकिन विनियामक/सांविधिक बदलावों के कारण उपयुक्त बदलाव/ संशोधन करने पड़ेंगे तथा संविदा के उचित निष्पादन हेतु रा.आ.बैंक द्वारा आवश्यक या उपयुक्त संदर्भित किए गए हैं, ऐसे कार्य, गतिविधियां, उत्तरदायित्व या सेवाएं (लागू बदलाव के साथ, यदि कोई हो) अंतर्निहित और इस आरएफपी के सेवा क्षेत्र तहत समाविष्ट समझा जाएगा और बोलीदाता का प्रत्युत्तर उस सीमा तक तथा उसी प्रकार का

होगा जैसा कि इस आरएफपी और बोलीदाता के प्रत्युत्तर में विशेष रूप से बताया गया है।

5. बोलीदाताओं के लिए निर्देश

5.1 सामान्य:-

- बोलीदाताओं द्वारा उत्तरों के विकास, तैयारी एवं प्रस्तुति बैठक, परिचर्चा, प्रदर्शन इत्यादि में उपस्थिति तक ही सीमित नहीं। इससे किसी भी तरह जुड़े एवं राष्ट्रीय आवास बैंक द्वारा अपेक्षित कोई अतिरिक्त सूचना प्रदान करने में खर्च की गई सभी लागत एवं व्यय पूरी तरह व विशेष रूप से बोलीदाता द्वारा वहन किया जाएगा।

- बोली के साथ प्रस्तुत किए जाने वाले संविदा-पूर्व सत्यनिष्ठा समझौता के अलावा, संविदात्मक करार के निष्पादन तक बोलीदाताओं एवं रा.आ.बैंक में से किसी के भी बीच कोई बाध्यकारी कानूनी संबंध नहीं होंगे। बोलियों के मूल्यांकन एवं उनको अंतिम रूप देने के एवं सफल बोलीदाता की पहचान के पश्चात सत्यनिष्ठा समझौता सफल बोलीदाता द्वारा निश्चित समझौता के भाग हेतु होगा। अन्य बोलीदाताओं के लिए, संविदा-पूर्व सत्यनिष्ठा समझौता प्रस्तुत बोली के संबंध में कथोक्त संविदा पूर्व सत्यनिष्ठा समझौता के उल्लंघन में बोलीदाता द्वारा किए गए किसी कार्य/चूक हेतु उन पर बाध्य होगा।

- प्रत्येक बोलीदाता मानेगा एवं स्वीकार करेगा कि राष्ट्रीय आवास बैंक अपने पूर्ण विवेक पर पात्र वेंडर(रों) छांटने/चयन करने में प्रस्तावों का

मूल्यांकन करने के लिए दस्तावेजों में विनिर्दिष्ट चयन मानदंड अपना सकता है।

- प्रत्येक बोलीदाता को इस आरएफपी के जवाब में अपनी बोली जमा करके, इस आरएफपी की शर्तों और अस्वीकरण को स्वीकार करने वाला माना जाएगा।

- बोलीदाताओं से अपेक्षित है कि वे इस आरएफपी से संबंधित सभी पत्राचार सीधे निम्नलिखित नामित संपर्क व्यक्तियों को भेजें:

नाम: किशोर एन कुंभारे पदनाम: डीजीएम ईमेल आईडी: kishor.kumbhare@nhb.org.in फोन नंबर: + 91-22- 22851560-62	नाम: हेमकुमार गोपालकृष्णन पदनाम: एजीएम ईमेल आईडी: hemkumar.gopalakrishnan@nhb.org.in फोन नंबर: + 91-22- 22851560-62

- राष्ट्रीय आवास बैंक आरएफपी/निविदा बंद होने के पश्चात अपने पूर्ण विवेक पर किसी भी बोलीदाता से अतिरिक्त सूचना अथवा सामग्री की मांग कर सकता है एवं बोलीदाता के प्रत्युत्तर के तौर पर ऐसी सभी सूचना एवं सामग्री उपलब्ध कराई जानी अत्यंत आवश्यक होगी।

- यह सुनिश्चित करने के लिए कि आरएफपी हेतु प्रत्युत्तर तुरंत सूचित किया जाए, बोलीदाताओं को अपने संपर्क व्यक्ति, टेलीफोन, ई-मेल एवं पूरे पते का विवरण देना चाहिए।

- यदि राष्ट्रीय आवास बैंक अपने पूर्ण विवेक पर यह समझे कि प्रश्न का प्रवर्तक प्रश्न के प्रत्युत्तर से लाभ हासिल करेगा तो राष्ट्रीय आवास बैंक के पास सभी बोलीदाताओं को ऐसे उत्तर बताने का अधिकार सुरक्षित होगा।

- यदि कोई पूछताछ/स्पष्टीकरण हो तो उपर्युक्त संपर्क व्यक्ति से सोमवार से शुक्रवार, सार्वजनिक अवकाशों को छोड़कर प्रात: 1030 से सायं 1730 बजे तक बोलियों के प्रस्तुत करने की समय-सीमा के पूर्व जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।

- **बोलीदाता को भारत सरकार के किसी भी विभाग/पीएसयू/बैंकों/भारत में वित्तीय संस्थानों द्वारा बोली प्रक्रिया में भाग लेने से प्रतिबंधित या हटाया न गया हो।**

- रा.आ. बैंक अपनी आरएफपी के परिणाम के मुमकिन होते ही सभी शार्ट लिस्ट बोलीदाताओं को लिखित रूप में अथवा मेल के द्वारा या उसे अपनी वेबसाइट में प्रकाशित करके सूचित करेगा। रा.आ. बैंक ऐसी किसी भी स्वीकृति या अस्वीकृति के लिए कोई कारण देने के लिए बाध्य नहीं है।

5.2 बोली पूर्व बैठक

इस निविदा/आरएफपी से संबंधित मुद्दों पर बोलीदाताओं के संदेहों के स्पष्टीकरण के प्रयोजनार्थ, रा.आ.बैंक आरएफपी में इंगित की गई तिथि व समय पर बोली पूर्व बैठक आयोजित करना चाहता है। सभी बोलीदाताओं के प्रश्न लिखित में उपरोक्त पते पर **11 सितम्बर, 2020:** 1030 बजे तक या इससे पहले डाक या ई-मेल द्वारा पहुंच जाना चाहिए।

यह भी ध्यान दें कि किसी भी बोलीदाता के पूर्व बोली बैठक के पश्चात प्राप्त होने वाले प्रश्नों पर विचार नहीं किया जाएगा। प्रश्नों पर स्पष्टीकरण बोली पूर्व बैठक में दिया जाएगा। बोलीदाताओं के प्राधिकृत प्रतिनिधि को ही बोली पूर्व बैठक में भाग लेने की अनुमति होगी।

प्रस्ताव / बोली जमा करने से पूर्व, विक्रेता पूर्व बोली बैठक के लिए निश्चित किए गए दिन पर मुम्बई जा सकते हैं, जहाँ यह कार्य निष्पादित किया जाना है।

5.3 निविदा/आरएफपी दस्तावेज की सॉफ्ट प्रति

निविदा दस्तावेज की सॉफ्ट प्रति बैंक की वेबसाइट http://www.nhb.org.in पर उपलब्ध कराई जाएगी।

5.4 निविदा/आरएफपी की अहस्तांतरणीयता

यह निविदा / आरएफपी दस्तावेज हस्तांतरणीय नहीं है।

5.5 विलोपन अथवा परिवर्तन

विलोपन या परिवर्तन वाले प्रस्तावों पर विचार नहीं किया जाएगा। रा.आ.बैंक के विवेक पर तकनीकी बोलियों में किसी भी अंतरालेखन, विलोपन या उपरिलेखन को केवल विचार किया जाएगा, केवल तभी यदि वह बोलियों पर हस्ताक्षर करने वाले व्यक्ति द्वारा आद्याक्षरित हो। हालाँकि, वाणिज्यिक बोली में किसी भी तरीके से कोई अंतरालेखन, विलोपन या उपरिलेखन स्वीकार नहीं किये जायेंगे। प्रस्ताव में हाथ से लिखित सामग्री, सुधार अथवा संशोधन न हो। तकनीकी विवरण पूरी तरह भरा हो। प्रस्तावित उत्पाद की सही तकनीकी

जानकारी भरी जाये। “ठीक”, “स्वीकृत”, “विख्यात”, जैसा कि ब्रोशर/नियमावली में दिया गया है, इन शब्दों का प्रयोग करके जानकारी भरना स्वीकार्य नहीं है। हालांकि, रा.आ.बैंक इन दिशा-निर्देशों का पालन न करने वाले प्रस्तावों को अस्वीकृत करेगा। रा.आ. बैंक अपने विवेकाधिकर पर, प्रस्ताव में कोई भी मामूली गैर-अनुरुपता या किसी भी मामूली अनियमितता में छूट कर सकता है। यह सभी बोलीदाताओं पर बाध्यकारी होगा तथा रा.आ.बैंक इस तरह की छूट के लिए अधिकार सुरक्षित रखता है।

5.6 बोली/निवदा/आरएफपी दस्तावेजों में संशोधन

- बोलियों की प्रस्तुति की अंतिम समय सीमा से पूर्व किसी भी समय पर, राष्ट्रीय आवास बैंक किसी भी कारण संशोधन या शुद्धिपत्र द्वारा बोली/निविदा/आरएफपी दस्तावेजों में संशोधन कर सकता है।
- ऐसे संशोधनों को बैंक की वेबसाइट www.nhb.org.in पर दर्शाया जाएगा।
- सभी बोलीदाताओं को यह सुनिश्चित करना आवश्यक है कि आरएफपी में सभी संशोधन/उन्नयन (यदि कोई हो) बोली प्रस्तुत करने से पूर्व उन्होंने उस पर विचार कर लिया है। बोलीदाता/बोलीदाताओं द्वारा किसी प्रकार चूक के मामले में रा.आ.बैंक की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।
- रा.आ.बैंक अपने विवेक पर बोलियां प्रस्तुत करने की समय-सीमा बढ़ा सकता है।
- किसी भी प्रकार के संप्रेषण में अंतराल के लिए रा.आ.बैंक उत्तरदायी नहीं होगा। इसके अतिरिक्त, रा.आ.बैंक के पास बिना कोई कारण बताए किसी भी चरण में आरएफपी को रद्द करने या निविदा प्रक्रिया को समाप्त करने का अधिकार सुरक्षित होगा।

5.7 बोली की भाषा

बोलीदाताओं द्वारा तैयार बोली के अलावा बोलीदाता एवं बैंक के बीच बोली से संबंधित आदान-प्रदान किये जाने वाले सभी पत्राचार एवं दस्तावेज एवं समर्थित दस्तावेज व मुद्रित साहित्य अंग्रेजी में लिखी जाएगी।

5.8 स्थान/मात्रा में संशोधन का अधिकार

रा.आ.बैंक आरएफपी में विनिर्दिष्ट मात्रा में परिवर्तन का अधिकार सुरक्षित रखता है। राष्ट्रीय आवास बैंक के पास समय-समय इस आरएफपी में निर्धारित सूची से एक या एक से अधिक स्थल/स्थलों को जोड़ने/हटाने का भी अधिकार सुरक्षित है।

5.9 बोली में शामिल किये जाने वाले दस्तावेज (प्रारुपों में अलग से निर्दिष्ट निर्देशों का कृपया अनुसरण करें, यदि कोई हो)

1. **अनुलग्नक I** में निर्धारित प्रारूप में बोलीदाता की जानकारी;
2. **अनुलग्नक II** में निर्धारित प्रारूप में अनुपालन विवरण घोषणा;
3. **अनुलग्नक III** में निर्धारित प्रारूप में विचलनों की सूची, यदि कोई हो।
4. **अनुलग्नक IV** में वचनपत्र;
5. **अनुलग्नक V के अनुसार वाणिज्यिक बोली कवरिंग पत्र;**
6. **अनुलग्नक VI के अनुसार वाणिज्यिक बोली प्रारूप;**
7. **अनुलग्नक VII में** निर्धारित प्रारूप में ईसीएस अधिदेश;
8. **अनुलग्नक VIII** में प्रारूप में संकल्प मैट्रिक्स ;

9. **अनुलग्नक IX** में प्रारूप में संविदा-पूर्व सत्यनिष्ठा समझौता (जहां भी लागू हो) *(संविदा-पूर्व सत्यनिष्ठा समझौता प्राधिकृत हसताक्षरी द्वारा विधिवत हसताक्षर किए 100/- रू. के गैर-न्यायिक स्टाम्प पेपर पर सही तरीके से टंकित कर प्रस्तुत करना होगा और तत्पश्चात रा.आ.बैंक की ओर से भी हस्ताक्षर किया जाएगा। निष्पादन की तारीख बोलीदाता द्वारा तकनीकी बोली में उल्लिखित तारीख होनी चाहिए)*

5.10 बोली मुद्रा

बोलियां केवल भारतीय रूपए में कोट की जाएगी। भारतीय रूपए के अलावा किसी अन्य मुद्रा में बोलियों पर विचार नहीं किया जाएगा।

5.11 बयाना जमा राशि (ईएमडी)

क. सभी बोलियां **राष्ट्रीय आवास बैंक** के पक्ष में ई-भुगतान के माध्यम से 75,000/- रुपए (पचहत्तर रुपये मात्र) की प्रतिदेय ब्याज मुक्त प्रतिभूति जमा राशि (ईएमडी) के साथ होनी चाहिए।

ख. इसके अतिरिक्त,निविदा की लागत वेबसाइट से बोलीदाता द्वारा डाउनलोड किए गए दस्तावेजों के लिए देय नहीं होगी। हालाँकि, मांग ड्राफ्ट के रूप में 2,000/- रु. की निविदा शुल्क केवल उनके द्वारा देय होगी, जो हमारे कार्यालयों से निविदा दस्तावेज़ खरीदते हैं।

खाते का विवरण निम्नलिखित तालिकानुसार है:

प्रस्ताव हेतु अनुरोध: मुम्बई में स्थित रा.आ.बैंक के परिसर हेतु वार्षिक अनुरक्षण संविदा

तालि

का 3

क्र. सं.	प्रकार	विवरण
1	लाभार्थी का नाम	राष्ट्रीय आवास बैंक
2	लाभार्थी का पता	तीसरी मंजिल, बॉम्बे लाइफ बिल्डिंग, 45, वीर नरीमन रोड, फोर्ट, मुंबई -400 001
3	लाभार्थी के बैंक का नाम	कैनरा बैंक
4	लाभार्थी के बैंक का नाम एवं शाखा का पता	मुंबई टेमरिंड लेन शाखा, फोर्ट, मुंबई - 400 001
5	बैंक खाते का प्रकार	चालू खाता
6	लाभार्थी बैंक खाता सं.	0239201003212
7	बैंक की शाखा का आईएफसी कोड	CNRB0000239

ग. भुगतान का प्रमाण संलग्न होना चाहिए तथा तकनीकी बोली लिखकर लिफाफे में रखा जाना चाहिए; जिसकी अनुपस्थति में बोली आगे मूल्यांकन के लिए विचार नहीं की जा सकती। बोलीदाता को ईसीएस अधिदेश पत्र, जैसा अनुलग्नक VII में संलग्न है, प्रस्तुत करना आवश्यक है।

घ. यथोचित प्रारूप तथा प्रणाली में ईएमडी के बिना प्राप्त कोई बोली (आरएफपी के अनुच्छेद 11ई के तहत छूट का दावा करने वाले बोलियों के अलावा अन्य) अनुत्तरदायी और अस्वीकार की जाएगी।

ङ. बयाना जमा राशि से छूट:

जिला उद्योग केंद्र या खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग या खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड या कॉयर बोर्ड या राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम या हस्तशिल्प एवं हथकरघा निदेशालय या एसएसएमईडी अधिनियम 2006 के अनुसार सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय द्वारा निर्दिष्ट किसी अन्य निकाय के साथ पंजीकृत सूक्ष्म एवं लघु उद्यम (एमएसई), एवं उत्पादित माल एवं सौंपी गयी सेवा के लिए आगे संशोधन जारी किये जायेंगे तथा नि: शुल्क निविदा दस्तावेज होंगे एवं उन्हें बयाना जमा राशि (ईएमडी) का भुगतान करने से छूट दी जाएगी।

एनएसआईसी/एमएसई के लिए ईएमडी राशि की छूट प्राप्त करने हेतु आवश्यक दस्तावेज

क. एमएसएमई, जो विनिर्माण / सेवा उद्यमों के रूप में एमएसएमईडी अधिनियम 2006 और सार्वजनिक खरीद नीति, 2012 के तहत सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय द्वारा विनिर्दिष्ट हैं, अपनी एकल बिंदु पंजीकरण योजना (एसपीआरएस) के तहत एनएसआईसी के साथ पंजीकृत होना चाहिए।

ख. इंगित की गयी मौद्रिक सीमा के साथ प्रमाण पत्र निविदा प्रस्तुत करने की निर्धारित तिथि / विस्तारित तिथि पर वैध होना चाहिए। बिना मौद्रिक सीमा के प्रमाणपत्रों पर विचार नहीं किया जाएगा।

ग.एनएसआईसी प्रमाणपत्र के तहत उल्लिखित उत्पाद/सेवाओं की मदें निविदा मदों के समान या एक जैसी होनी चाहिए (निविदा मदों की अनुसूची) ।

घ. एमएसएमई / एनएसआईसी के प्रमाणपत्र में निर्धारित मौद्रिक सीमा ईएमडी छूट का लाभ उठाने के लिए इस निविदा की वित्तीय लागत प्लस अनुमानित लागत के दौरान एमएसएमई लाभों के तहत प्रदान किए गए मूल्य के बराबर या उससे अधिक होनी चाहिए।

ड. यदि मौद्रिक सीमा इस निविदा के वित्तीय वर्ष प्लस अनुमानित लागत के दौरान एमएसएमई/एनएसआईसी लाभ के तहत प्रदान किये गये कार्य के मूल्य से कम है, तो उन्हें इस निविदा में भाग लेने के साथ-साथ एमएसएमई लाभ प्राप्त करने हेतु एनएसआईसी से "योग्यता प्रमाण पत्र" प्राप्त करना चाहिए।

च. ईएमडी (5.11 ड. के अलावा) से छूट हेतु अनुरोध पर कार्रवाई नहीं की जाएगी।

छ. निश्चित करार में या इसमें प्रदान की गई या अन्यथा जमा की गई, सभी असफल बोलीकर्ताओं की ईएमडी राशि कार्य / संविदा सौंपने के बाद 15 दिनों या उससे पहले निविदा प्रक्रिया के पूरा होने पर पहले वापस कर दी जाएगी।

ज. निश्चित करार में या इसमें प्रदान की गई या अन्यथा जमा की गई, सफल बोलीदाता की ईएमडी राशि परियोजना के संतोषजनक पूरा होने या खंड 5.13 में परिभाषित पीबीजी जमा करने के बाद वापस कर दी जाएगी।

झ.ईएमडी सुरक्षा जब्त की जा सकती है:

- यदि बोलीदाता बोली वैधता अवधि के दौरान अपनी बोली आहरित कर ले;
- संविदा पर हस्ताक्षर करने से पहले किसी समय यदि बोलीदाता कोई बयान देता है अथवा कोई प्रारूप संलग्न करता है जो झूठ/गलत पाया जाता है।
- सफल बोलीदाता के मामले में, यदि बोलदाता बैंक की संतुष्टि के लिए वस्तुओं की डिलीवरी और संस्थापना में असफल हो जाता है; तथा
- संविदा-पूर्व प्रमाणिकता पैक्ट के किसी भी उल्लंघन के मामले में।

5.12 कार्यान्वयन अनुसूची

क्रम सं.		
1	कार्यक्षेत्र के अनुसार सभी सेवाओं को शुरू करना	आदेश के दो सप्ताह के भीतर

5.13 कार्य निष्पादन बैंक गारंटी

सफल बोलीदाता की ईएमडी परियोजना के प्रारंभ से 40 महीने की वैधता के साथ समान राशि का पीबीजी जमा करने के बाद ही वापस की जा सकती है।

यदि सफल बोलीदाता ने ईएमडी से छूट का दावा किया है, तो उसे परियोजना के प्रारंभ से 40 महीने की वैधता के साथ 75,000 रु. का पीबीजी जमा करना होगा। जिसके बाद ही कोई भुगतान जारी किया जाएगा।

5.14 बोलियों की वैधता अवधि

- बोलीदाता द्वारा प्रस्तुत कीमतें तथा अन्य शर्तें वाणिज्यिक बोली प्रस्तुत करने की तारीख से छह माह की स्वीकृति अवधि के लिए वैध होनी चाहिए।

- असाधारण परिस्थितियों में रा.आ. बैंक बोलीदाताओं से वैधता की अवधि बढ़ाने के लिए सहमति की मांग कर सकता है। उसके लिए अनुरोध और प्रतिक्रिया लिखित में होगी। दी गई बोली प्रतिभूति/ईएमडी भी बढ़ा दी जाएगी।

5.15 बोली का प्रारूप तथा हस्ताक्षर

प्रत्येक बोली दो भागों में जमा होगी:

- **भाग I**: अनुलग्नक V और VI को छोड़कर ईएमडी और आरएफपी की लागत (यदि लागू है), सभी अनुलग्नक के प्रमाण शामिल है। उपरोक्त कंटेन्ट **"तकनीकी प्रस्ताव"** के रूप में संदर्भित किए जाएंगे।

- **भाग II** : **:"वाणिज्यिक प्रस्ताव"** के रूप में संदर्भित होने के बाद केवल वाणिज्यिक बोली कवर करेंगे, **जिसमें केवल** अनुलग्नक V और VI शामिल होंगे।

- वास्तविक बोली पक्की स्याही से टाइप की हुई या लिखित में होनी चाहिए तथा संविदा के बोलीदाता के लिए बाध्य विधिवत प्राधिकृत एक व्यक्ति या व्यक्तियों द्वारा हस्ताक्षित होनी चाहिए। व्यक्ति अथवा व्यक्तियों जो बोली हस्ताक्षर कर रहे हैं, असंशोधित मुद्रित साहित्य के अलावा बोली के सभी पृष्ठों पर संक्षिप्त हस्ताक्षर करेंगे।

5.16 बोलियों की सीलिंग एवं चिन्हांकन

मास्टर लिफाफे नीचे दिये पते पर रा.आ. बैंक को भेजे जाएंगे:

उप महाप्रबंधक- परिसर
राष्ट्रीय आवास बैंक,
तीसरी मंजिल, बॉम्बे लाइफ बिल्डिंग,
45, वीर नरीमन रोड, फोर्ट, मुंबई -400 001

मास्टर लिफाफे पर '**मुम्बई में स्थित रा.आ.बैंक के परिसर हेतु वार्षिक अनुरक्षण संविदा के लिये प्रस्ताव हेतु अनुरोध"** लिखा होना चाहिये।

सभी लिफाफों पर बोलीदाता का नाम, पता और सम्पर्क नम्बर लिखा होना चाहिए।

- **बोलीदाता तकनीकी और वाणिज्यिक प्रस्तावों वाले लिफाफों को अलग-अलग मुहर बंद करेगा और दोनों प्रस्तावों को एकल मास्टर लिफाफे में रखा जाएगा।**

- यह लिफाफा नॉन-विंडो होना चाहिए और यथा लागू इसके ऊपर **"मुम्बई में स्थित रा.आ.बैंक के परिसर हेतु वार्षिक अनुरक्षण संविदा के लिये तकनीकी प्रस्ताव"** तथा **"मुम्बई में स्थित रा.आ.बैंक के परिसर हेतु वार्षिक अनुरक्षण संविदा के लिये वाणिज्यिक प्रस्ताव"** अलग से लिखा हो।

- यदि लिफाफे मुहरबंद/चिन्हित नहीं किया गए हों तो रा.आ.बैंक बोली के गुम होने या समय पूर्व खुल जाने के लिये उत्तरदायी नहीं होगा एवं बोली इससे अस्वीकार की जा सकती है।

- ऐसी बोली जो ठीक प्रकार से मुहरबंद नहीं हुई उन पर विचार नहीं किया जाएगा और किसी सहारे के बिना अस्वीकृत कर दी जाएगी।

5.17 बोलियां प्रस्तुत करने की अंतिम तारीख

- बोलियां बैंक को निर्दिष्ट पते पर प्रस्तुत करने की अंतिम तारीख से पहले, जिसे ऊपर दर्शाया गया है, प्राप्त हो जानी चाहिए।

- बोली प्रस्तुत करने हेतु निर्दिष्ट तिथि यदि बैंक के लिए अवकाश घोषित हो जाता है तो बोली अगले कार्य दिवस में निर्दिष्ट समय तक प्राप्त की जा सकती है।

- रा.आ.बैंक अपने विवेकाधिकार पर, रा.आ. बैंक की वेबसाइट की सूचना के साथ बोली दस्तावेजों में संशोधन करके बोली प्रस्तुत करने की समय-सीमा बढ़ा सकती है, इस मामले में, रा.आ. बैंक और बोलीदाताओं के सभी अधिकार और कर्तव्यों को पहले निर्धारित समय सीमा के अधीन किया जाएगा, इसके बाद से समय सीमा के अधीन बढ़ाया जाएगा।

5.18 विलम्ब से प्राप्त बोलियां

रा.आ.बैंक द्वारा निर्धारित बोलियां प्रस्तुत करने की अंतिम तारीख के बाद रा.आ.बैंक को प्राप्त बोलियां रद्द कर दी जाएंगी और उन्हें बिना खोले बोलीदाता को लौटा दिया जाएगा।

5.19 रा.आ.बैंक द्वारा बोलियां खोला जाना

- निर्धारित तारीख और समय पर, बोलियां रा.आ.बैंक समिति द्वारा बोलीदाता प्रतिनिधियों की उपस्थिति में, जो उस निर्धारित तारीख एवं समय पर बैठक में उपस्थित होंगे, खोली जाएंगी।

- बोलीदाता का नाम और उपस्थिति या अपेक्षित ईएमडी, आरएफपी लागत और रा.आ.बैंक की कोई अन्य जानकारी, जो वह अपने विवेकानुसार उपयुक्त समझता है, तकनीकी बोली खोलने के समय घोषणा की जाएगी।

5.20 बोलियों का स्पष्टीकरण

बोलियों के मूल्यांकन के समय, बैंक स्व निर्णयानुसार, बोलीदाता से

उसकी बोली का स्पष्टीकरण मांग सकता है। स्पष्टीकरण के लिये अनुरोध और उसका उत्तर लिखित (फैक्स /ईमेल) होगा और बोली की विषय वस्तु में किसी परिवर्तन की मांग नहीं की जाएगी या अनुमति नहीं दी जाएगी।

5.21 प्रारम्भिक जांच

- रा.आ.बैंक यह देखने के लिये बोलियों की जांच करेगा कि क्या वे पूरी हैं, दस्तावेजों पर सही प्रकार हस्ताक्षर किये गये हैं, सहायक कागजात /दस्तावेज संलग्न किये गये हैं और बोलियां हर प्रकार से ठीक हैं।

- रा.आ.बैंक स्व निर्णयानुसार, मामूली गलतियों, अननुपालन या अनियमितता को अनदेखा कर देगा जिनसे बिड की विषय वस्तु पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, किंतु इस प्रकार से अनदेखी करने का किसी बोलीदाता की रैकिंग पर कोई प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए।

- बोली दस्तावेजों के मूल्यांकन के बारे में रा.आ.बैंक का निर्णय अंतिम होगा।

5.22 प्रस्ताव का स्वामित्व

बोलीदाता द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव और संलग्न दस्तावेज तब तक रा.आ. बैंक की सम्पत्ति होंगे जब तक कि रा.आ. बैंक बोलीदाता का वह अनुरोध लिखित में स्वीकार नहीं कर लेता कि प्रस्ताव तथा दस्तावेज लौटा दिये जाएंगे या नष्ट कर दिये जाएंगे।

5.23 बोलीदाताओं को निर्देश

बोलीदाता रा.आ.बैंक की पूर्व लिखित सहमति को छोड़कर रा.आ.बैंक द्वारा सौपे गए कार्य को किसी तृतीय पक्ष को आउटसोर्स नहीं करेगा और रा.आ.बैंक द्वारा पंजीकृत सभी शिकायतें अपने स्वयं की सेवा/समर्थन अवसंरचना के द्वारा ही निपटाएगा।

5.24.कीमत संघटन एवं व्युत्पन्न

- बोलीदाता को **अनुलग्नक VI** में प्रदान किये गये प्रारूप के अनुसार यदि कोई हो, स्पष्ट रूप से कीमतों को प्रस्तुत करना चाहिए। किसी भी विचलन की स्थिति में बोली अस्वीकार की जा सकती है। इसके अतिरिक्त, वाणिज्यिक बोली के अलावा किसी भी विकल्प को कोट नहीं किया जाना चाहिए। जहां भी विकल्प दिए जाते हैं, वहां बोली अस्वीकार कर दी जाती है।
- वाणिज्यिक प्रस्ताव एक निश्चित मूल्य के आधार पर होगा।
- जीएसटी का अतिरिक्त भुगतान सांविधिक प्रावधान के अनुसार किया जाएगा।
- कीमतें वाणिज्यिक बोली के खुलने की तारीख से छः महीने के लिए वैध होंगी और बोलीदाता उसी मूल्य पर, यदि कोई हो, के अतिरिक्त वस्तुओं की आपूर्ति करेगा।
- 20% (एसी एवं कीट नियंत्रण सेवाएँ) सेवाओं के दायरे में भिन्नता के लिए बैंक कोई अतिरिक्त भुगतान नहीं करेगा।

5.25 सहायक सेवाओं की समय पर उपलब्धता

सेवा प्रदाता के पास इस आरएफपी के तहत सभी आवश्यक सहायता प्रदान करने के लिए मुम्बई एमएमआर में उचित और पर्याप्त समर्थन तंत्र होना चाहिए।

5.26 बोली मूल्यांकन

सबसे कम एल1 प्रस्तावित बोली को परियोजना के लिए चुना जाएगा।

5.27 संशोधन एवं वापसी

- प्रत्येक बोलीदाता केवल एक प्रस्ताव प्रस्तुत करेगा। यदि कोई भी बोलीदाता एक से अधिक प्रस्तावों को प्रस्तुत करता है, तो ऐसे सभी प्रस्तावों को अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा।
- बोलीदाता को सूचित किया जाता है कि बोली पूर्व बैठक के बाद ही बोलियाँ प्रस्तुत करें क्योंकि एक बार प्रस्तुत की गई बोली को अंतिम माना जाएगा और इस पर आगे कोई पत्राचार नहीं किया जाएगा। बोलियों को प्रस्तुत करने की अंतिम समय-सीमा के बाद किसी भी बोली को संशोधित करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। यदि बोलीदाता सफल बोलीदाता होता है तो किसी भी बोलीदाता को बोली वापस लेने की अनुमति नहीं दी जाएगी।
- रा.आ.बैंक के पास बिना कोई कारण बताए प्राप्त किसी भी या सभी बोलियों को अस्वीकार करने का अधिकार है। किसी भी कारण से बोली दस्तावेजों की गैर-प्राप्ति/गैर-वितरण के लिए रा.आ.बैंक जिम्मेदार नहीं होगा।

5.28 कीमतों का प्रकटीकरण

वाणिज्यिक बोली के अलावा तकनीकी या बोली के अन्य भाग में किसी भी रूप में या कारण से कीमतों का प्रकटन नहीं किया जाएग। ऐसा न करने पर बोली रद्द की जा सकती है।

5.29 बोली लगाने वाली कंपनियों की निबंधन व शर्तें

बोली लगाने वाली कंपनियों को बोली के लिए अपनी स्वयं के निबंधन व शर्तें लगाना आवश्यक नहीं है यदि ऐसी निबंधन व शर्तें प्रस्तुत की जाती है तो उसे उनकी बोलियों के हिस्से के तौर पर नहीं माना जाएगा। बोलीदाताओं को सूचित किया जाता है **अनुलग्नक- III** के अनुसार विचलन को स्पष्ट रूप से निर्दिष्ट करने के लिए, इस आरएफपी पर लागू संविदा के नियम और शर्तें उनके लिए स्वीकार्य नहीं हैं। बोलीदाताओं को यह भी स्पष्ट रूप से वर्णन करना होगा कि वस्तुओं और सेवाओं को किस रूप में और किस सीमा तक विनिर्देशों और आवश्यकताओं में निर्धारित विनिर्देशों के अनुसार अलग से प्रस्तावित किया जा रहा है।

5.30 स्थानीय परिस्थितियां

बोलीदाता ऐसी स्थानीय परिस्थितियों एवं कारकों से भलीभांति परिचित हो जो संविदा के कार्य निष्पादन एवं/अथवा लागत पर कोई

प्रभाव डालते हों।

5.31 रा.आ.बैंक से सपंर्क करना या बाहरी प्रभाव डालना

बोलीदाताओं को वाणिज्यिक बोली प्रस्तुत करने के समय से लेकर संविदा प्रदान किये जाने के समय तक इस बोली से संबंधित किसी मामले पर राष्ट्रीय आवास बैंक अथवा इसके सलाहकारों से संपर्क करना निषिद्ध है। बोलीदाताओं द्वारा बोली मूल्यांकन प्रक्रिया अथवा संविदा प्रदान करने के निर्णय को प्रभावित करने वाले कोई प्रयास करने पर बोली अस्वीकार कर दी जाएगी।

5.32 प्रस्ताव की सामाग्री

बोलीदाताओं के प्रस्ताव मूल्यांकन एवं चयन प्रकिया का मुख्य विषय है। इसीलिए यह आवश्यक है कि बोलीदाता ध्यानपूर्वक अपना प्रस्ताव तैयार करें। बोलीदाता के प्रस्ताव की गुणवत्ता साधन उपलब्ध कराने में बोलीदाता की क्षमता एवं इस परियोजना में बोलीदाता की रूचि के सूचक के तौर पर देखी जाएगी।

5.33 प्रतिबंधित या सूची से निकाले गए बोलीदाता

बोलीदाता को एक घोषणा देनी पड़ती है कि उन्हें किसी भी सरकारी, अर्ध सरकारी एजेंसियों, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम या सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक या उनके सहायकों द्वारा प्रतिबंधित या सूची से निकाला नहीं गया है। यदि बोलीदाता किसी सरकारी, अर्ध सरकारी, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम या सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक या उनके सहायकों द्वारा प्रतिबंधित किया जाता है

तो इस तथ्य को स्पष्ट करना होगा। यदि यह घोषणा नहीं की जाती है, तो बोली को गैर-उत्तरदायी माना जाएगा। यह घोषणा तकनीकी बोली के साथ प्रस्तुत करनी होगी।

5.34 कानूनों का अनुपालन

(क) बोलीदाता को इस निविदा में उन्हें एवं सभी प्रयोजनों में उनको, उनके बारोबार, उनके कर्मचारियों अथवा उनके दायित्वों से संबंधित अथवा लागू प्रवृत्त सभी कानूनों अथवा जो भविष्य में लागू किये जाएं के बारे में पर्यवेक्षण करने, पालन करने, मानने एवं अनुपालन करने एवं रा.आ.बैंक को सूचित करने तथा अपनी ओर से असफल रहने अथवा चूक होने पर व इसके परिणामस्वरूप उत्पन्न होने वाले उपरोक्त एवं सभी अन्य सांविधिक दायित्वों की अनुरूपता अथवा अनुपालन पर अपनी ओर से घटित होने वाली अथवा उत्पन्न होने वाली किसी प्रकार की चूक पर अथवा असफल रहने पर देयता के दावों अथवा मांगों के लिए रा.आ.बैंक एवं इसके कर्मचारियों/अधिकारीगणों/कर्मचारीवर्ग/कार्मिकों/प्रतिनिधियों/एजेंटो की क्षतिपूर्ति, हानिरहित पकड, बचाव एवं रक्षा करने का वचन देना होगा।

(ख) सफल बोलीदाता ऐसी सभी सहमतियां, अनुमतियां, अनुमोदन, लाइसेंस इत्यादि प्राप्त तुरंत एवं समय पर प्राप्त करेगा जो लागू कानून, सरकारी विनियमनों/दिशा निर्देशों के तहत इस परियोजना के किसी भी प्रयोजन एवं अपने स्वयं के कारोबार संचालित करने के लिए अनिवार्य अथवा आवश्यक हो एवं परियोजना/संविदा की अवधि

के दौरान उसे वैध अथवा प्रवृत्त रखेगा एवं इसमें किसी प्रकार से असफल रहने अथवा चूक होने की स्थिति में अपनी ओर से असफल रहने अथवा चूक होने पर व इसके परिणामस्वरूप उत्पन्न होने वाले उपरोक्त एवं सभी अन्य सांविधिक दायित्वों की अनुरूपता अथवा अनुपालन पर अपनी ओर से घटित होने वाली अथवा उत्पन्न होने वाली किसी प्रकार की चूक पर अथवा असफल रहने पर देयता के दावों अथवा मांगों के लिए रा.आ.बैंक एवं इसके कर्मचारियों/अधिकारीगणों/कर्मचारीवर्ग/कार्मिकों/प्रतिनिधियों/एजेंटो की क्षतिपूर्ति, हानिरहित पकड, बचाव, रक्षा करने एवं पूरी तरह क्षतिपूर्ति करने का वचन देना होगा और रा.आ.बैंक सफल बोलीदाता को यथोचित समय सीमा के भीतर देयता के ऐसे दावे अथवा मांग का नोटिस देगा।

(ग) यदि रा.आ.बैंक विलय, समामेलन, अधिग्रहण, समेकन, पुनर्निर्माण, स्वामित्व में परिवर्तन इत्यादि की प्रक्रिया से गुजरता है तो यह संविदा नई संस्था को सौंपे जाने वाला माना जाएगा एवं इस तरह के कार्य से इस संविदा के तहत विक्रेता के अधिकारों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

(घ) यदि, किसी भी कारण से, नियोक्ता को कामगार प्रतिकर अधिनियम, 1923 के प्रावधानों के आधार पर बाध्य या कार्य के निष्पादन में ठेकेदार द्वारा नियोजित कर्मचारी को मुआवजे का भुगतान करने हेतु कोई भी सांविधिक संशोधन करने या पुन: लागू करने बाध्य किया जाता है, तो नियोक्ता उक्त अधिनियम के तहत ठेकेदार के मुआवजे की राशि का भुगतान करने और मालिक के

अधिकारों के लिए बिना किसी पूर्वाग्रह के हकदार होगा। नियोक्ता को इस संविदा या अन्यथा के तहत ठेकेदार को नीयोक्ता द्वारा प्रतिभूति जमा राशियां से या किसी भी देय राशि से उसे घटाकर ऐसी राशि या उसके किसी भाग को वसूलने की स्वतंत्रता होगी।

5.35 झूठा/अधूरा विवरण

बोलीदाता द्वारा प्रदान किया गया कोई विवरण/घोषणापत्र यदिनिविदा के किसी भी चरण में अथवा संविदा के किसी भी चरण में स्वीकारी गर्यी उसकी निविदा की स्थिति में गलत अथवा झूठी साबित होती है अथवा अधूरी पाई जाती है अथवा जैसे निविदा प्रदान करने में किसी प्रकार की प्रासंगिक जानकारी रोकती हैतो उसका/उनकी निविदा(यें)/संविदा (धों) को निम्नलिखित के अतिरिक्त निरस्त/रद्द कर दिये जाएंगे:

क. यदि ऐसा विवरण निविदा के चरण में पाया जाता है तो उसकी कुल बयाना राशि/ईएमडी जब्त कर दी जाएगी एवं निविदा/बोली को पूरी तरह से अस्वीकार कर दिया जाएगा।

ख. यदि ऐसा विवरण संविदा के चरण में पाया जाता है तो रा.आ.बैंक अपने विवेक पर पीबीजी के आह्वान समेत संविदा की समाप्ति हेतु आरएफपी में दी गई उपयुक्त कार्रवाई कर सकता है।

5.36 निश्चित समझौता

सफल बोलीदाता लेटर ऑफ अवार्ड (एलओए) के 15 दिनों के भीतर या रा.आ.बैंक द्वारा निर्धारित अवधि के भीतर **अनुलग्नक X** में प्रदान किये गये प्रारूप में मूलत: सेवा स्तरीय करार (एसएलए) पर हस्ताक्षर

करेगा। इस आरएफपी प्रक्रिया के परिणामस्वरूप करार/ करारों के निष्पादन के संबंध में सभी व्यय, स्टांप शुल्क और अन्य शुल्क / व्यय सफल बोलीदाता द्वारा वहन किए जाएंगे। बोर्ड संकल्प या मुख्तारनामा की प्रति यह प्रदर्शित करनी चाहिए कि हस्ताक्षरकर्ता को स्वीकृति पत्र, संविदा और गैर-प्रकटीकरण करार पर हस्ताक्षर करने के लिए विधिवत प्राधिकृत किया गया है, जिसे प्रस्तुत किया जाना चाहिए।

6 बोलियां (तकनीकी एवं वाणिज्यिक) एवं बोली के मूल्यांकन की कार्यप्रणाली

अर्हता पूर्व मानदंड को पूरा करने वाले बोलीदाता निविदा में भाग लेने के लिए पात्र होंगे और बोलीदाता से प्राप्त बोली जो नीचे दिए गए मानदंडों में से किसी भी पात्रता पर पात्र नहीं हैं उन्हें अस्वीकार कर दिया जाएगा और आगे के मूल्यांकन के लिए उस पर विचार नहीं किया जाएगा।

न्यूनतम योग्यता मानदंड	**सहायक दस्तावेज**
बोलीदाता आरबीआई/भारत में कोई विनियामक निकाय/केंद्र या राज्य या सरकारी विभाग/सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक/अखिल भारतीय वित्तीय संस्थान/सिविल/ इंटीरियर/संयुक्त कार्य हेतु सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम के साथ पैनल में शामिल वेंडर होना चाहिये	**आरएफपी की समाप्ति तिथि को वैध एम्पैनलमेंट पत्र**

प्रस्ताव हेतु अनुरोध: मुम्बई में स्थित रा.आ.बैंक के परिसर हेतु वार्षिक अनुरक्षण संविदा

मुंबई एमएमआर में बोलीदाता का अपना कार्यालय / कार्यशाला होना चाहिए	**बैंक को स्वीकार्य सहायक दस्तावेज़**
पिछले तीन वर्षों यानी 2019-20, 2018-19, 2017-18 के दौरान बोलीदाता का औसत वार्षिक टर्नओवर 50 लाख रु. से अधिक होना चाहिए।	**बैंक को स्वीकार्य सीए प्रमाण पत्र / सहायक दस्तावेज**
सिविल / इंटीरियर कार्य / संयुक्त कार्य में बोलीदाता को 10 वर्ष से अधिक का कार्य अनुभव होना चाहिए	**बैंक को स्वीकार्य कार्य आदेश / सहायक दस्तावेज**
पिछले पांच वर्षों के दौरान किसी भी सरकारी, अर्ध सरकारी एजेंसियों, सांविधिक, विनियामक, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम या सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक और इसकी सहायक कंपनियों द्वारा बोलीदाता को प्रतिबंधित या परिसीमित नहीं किया जाना चाहिए।	**वेंडर से इस संबंध में वचनपत्र**
बोलीदाता द्वारा दिया जाने वाला वचनपत्र "मैंने देश के बोलीदाता जो भारत के साथ भूमि सीमा साझा करता है, से खरीद पर प्रतिबंध के संबंध में खंड को पढ़ा है; मैं प्रमाणित करता हूं कि << फर्म का नाम >> ऐसे देश से नहीं है या यदि ऐसे देश से है, तो सक्षम प्राधिकारी के साथ पंजीकृत किया गया है। मैं एतदद्वारा प्रमाणित करता हूं कि	**वेंडर से इस संबंध में वचनपत्र**

यह बोलीदाता इस संबंध में सभी अपेक्षाओं को पूरा करता है और इस पर विचार करने के योग्य है। [सक्षम प्राधिकारी द्वारा वैध पंजीकरण के साक्ष्य संलग्न किए जाएंगे।]"	

किसी भी समय आरएफपी की समापन तिथि से गणना की जायेगी।

किसी भी देश से बोलीदाता, जो भारत के साथ भूमि सीमा साझा करता है, इस निविदा में बोली लगाने के लिए पात्र होगा, केवल तभी जब बोलीदाता को सक्षम प्राधिकरण के साथ पंजीकृत किया गया हो।

हालाँकि, इस तरह का पंजीकरण इस आरएफपी के तहत पात्र होने के लिए आवश्यक नहीं है, जब कि बोलीदाता देशों (भले ही भारत के साथ भूमि सीमा साझा कर रहे हों) से हैं जिस पर भारत सरकार ने ऋण व्यवस्था दी हैं या जिसमें भारत सरकार विदेश मंत्रालय की वेबसाइट पर दिए गए ऐसे देशों की अद्यतन सूची के अनुसार परियोजना विकास में लगी हुई है।

सफल बोलीदाता ऐसे देश के किसी भी ठेकेदार को उप-अनुबंध कार्यों की अनुमति नहीं देगा जो भारत के साथ तब तक भूमि सीमा साझा करते है जब तक कि इस तरह के ठेकेदार सक्षम प्राधिकारी के साथ पंजीकृत नहीं हों।

कृपया ध्यान दें कि यदि सफल बोलीदाता द्वारा दिया गया प्रमाणपत्र गलत पाया जाता है, तो यह अनुबंध की तत्काल समाप्ति और कानून के अनुसार आगे की कानूनी कार्रवाई के लिए एक आधार होगा।

बोलीदाता को इन मानदंडों की पात्रता के समर्थन में अनुलग्नक IV में

उल्लिखित विधिवत भरा वचनपत्र प्रस्तुत करना है। बोलीदाताओं को इन पात्रता मानदंडों को पूरा करने के दावे में सहायक दस्तावेज जमा करना अपेक्षित है।

यदि यह वचनपत्र नहीं दिया जाता है, तो बोली को गैर-उत्तरदायी माना जाएगा। यह घोषणा तकनीकी बोली के साथ प्रस्तुत की जाएगी।

7 वाणिज्यिक नियम एवं शर्तें

बोलीदाताओं से इस परियोजना के लिए निम्नलिखित नियम एवं शर्तें नोट करने का अनुरोध किया जाता हैः-

7.1 मूल्य

क बोलीदाता द्वारा उद्धृत कीमत में सभी प्रकार की लागतें शामिल होनी चाहिए।

ख मूल्य वाणिज्यिक कर के अनुसार सभी करों (जीएसटी को छोड़कर), कर्तव्यों, शुल्क, परिवहन, बीमा को शामिल किया जाना चाहिए।

ग समायोज्य मूल्य उद्धरण के साथ प्रस्तुत बोली को गैर-उत्तरदायी माना जाएगा और इसे अस्वीकार कर दिया जाएगा।

घ अनुबंधित दरों के आधार पर, रा.आ.बैंक अपने विवेक पर पुनः आदेश दे सकता है।

7.2 भुगतान की शर्तें

कोई भी भुगतान अनुलग्नक X में उल्लिखित ड्राफ्ट सेवा स्तरीय

करार के हस्ताक्षर एवं कार्य-निष्पादन बैंक गारंटी (यदि लागू हो) के हस्ताक्षर करने के बाद ही जारी किया जाएगा।

- श्रम शुल्क का भुगतान बैंक द्वारा निम्नलिखित दस्तावेज़ों के साथ कर इनवॉयस जमा करने पर प्रत्येक माह के अंत में मासिक आधार पर किया जाएगा:

क) ऑनलाइन भुगतान रसीद संबंधित बैंक द्वारा रा.आ.बैंक साइटों पर तैनात श्रमशक्ति को वेतन के भुगतान के प्रमाण के रूप में प्रतिहस्ताक्षरित किया जाता है। कृपया ध्यान दें कि वेतन के भुगतान के प्रमाण के रूप में किसी अन्य प्रणाली को स्वीकार नहीं किया जाएगा।

ख) ईपीएफओ पोर्टल से उत्पन्न पीएफ चालान

ग) ईएसआईसी पोर्टल से उत्पन्न ईएसआईई चालान

घ) प्रत्येज स्थान हेतु उपस्थिति रजिस्टर

ङ) जहां भी लागू हो, स्थानीय अधिकारियों सहित सांविधिक निकायों / सरकारी प्राधिकरणों की किसी भी अन्य आवश्यकताओं की पूर्ति का प्रमाण

बैंक निम्नानुसार रा.आ.बैंक साइट पर तैनात विशिष्ट माह हेतु वेंडर को श्रम शुल्क की प्रतिपूर्ति करेगा:

- वेंडर द्वारा श्रम शक्ति को न्यूनतम वेतन का भुगतान

- सांविधिक कानून के तहत परिभाषित अधिकतम सीमा के साथ माह हेतु वेंडर द्वारा किया गया पीएफ एवं ईएसआईसी योगदान। किसी भी सांविधिक / स्थानीय कानूनों / नियमों के तहत आवश्यक श्रमिकों को कोई अन्य भुगतान।
- सांविधिक कानून के अनुपालन में वेंडर द्वारा भुगतान किया गया ओवरटाइम / कन्वेंस। हालांकि, ठहरना ओवरटाइम के रूप में है / कंवेंस परिसर विभाग के अधिकारी द्वारा प्राधिकृत किया जाना चाहिए।

तिमाही रूप से निर्धारित एएमसी सेवा शुल्क (X) एवं सामग्री सेवा शुल्क (अनुरक्षण हेतु उपयोग की गयी वास्तविक सामग्री के साथ निश्चित सामग्री सेवा शुल्क (Y) निम्नलिखित दस्तावेजों के साथ कर इनवॉयस जमा करने पर प्रत्येक तिमाही के अंत में भुगतान किया जाएगा:

- बैंकों के फ्लैट / मुख्यालय में संस्थापित फर्नीचर / फिक्सचर एवं बैंक के फ्लैट की सामान्य स्थिति की स्थिति तिमाही आधार पर रिपोर्ट की जायेगी।
- मुख्यालय में रखे गए सभी फर्नीचर / इंटीरियर / लाइट्स / अलमारी आदि के तिमाही निरीक्षण पर रिपोर्ट
- तिमाही के लिए स्टॉक रजिस्टर
- शिकायत रजिस्टर, हालांकि, सामग्री शुल्क स्थिर और अस्थिर तिमाही के दौरान पंजीकृत शिकायतों के बंद होने के बाद ही प्रोसेस

किए जाएंगे। हालाँकि, अनुमोदन प्राप्त करने के लिए बैंक को अग्रेषित की गई पुन: हल शिकायतों को इस या अर्थदंड के उद्देश्यों के लिए खुला नहीं माना जाएगा। इसके अतिरिक्त, बैंक इस शर्त से अपने विवेक पर छूट दे सकता है।

- सहायक दस्तावेज के साथ कार्यक्षेत्र में परिभाषित क्लिनिंग की स्थिति:

क. सोफा, कुर्सी, कार्पेट, वेनेटियन अंधाब्लिंड्स, सभी तलों पर मुख्यालय एवं वीओएफ परिसर में वर्कस्टेशन एवं अपहोल्स्टरी आदि की शैम्पू से धुलाई।

ख. मुख्यालय और वीओएफ में ब्रास आर्टिकल की ब्रासो से सफाई

ग. तिमाही के दौरान बैंक के फ्लैटों को सौंपना / लेना

घ. नियमित एसी अनुरक्षण सेवाएं

ङ. कीट नियंत्रण सेवाएँ

- किसी भी तिमाही का भुगतान टीडीएस / अन्य करों में कटौती और तिमाही से संबंधित लागू अर्थदंड के बाद किया जाएगा।

तिमाही निर्धारित कीट नियंत्रण सेवा का भुगतान तिमाही के दौरान किए गए कार्यों के फ्लैटवाइज स्टेटस रिपोर्ट के साथ कर इनवॉइस जमा करने पर प्रत्येक तिमाही के अंत में किया जाएगा।

7.3 संविदा की समाप्ति के मामले में भुगतान

आरएफपी की शर्तों के अधीन, यदि संविदा का समापन होता है तो सेवाओं के प्रति भुगतान लागू दंड और टीडीएस /अन्य लागू करों को काटने के पश्चात उस अवधि जिसके लिए वे सेवाएं दी गई हों, के लिए यथानुपात आधार पर किया जाएगा।

7.4 अर्थदंड

- ड्यूटी से, आधे घंटे से अधिक समय तक कार्य स्थल / स्थान से किसी भी अनधिकृत अनुपस्थिति / अचानक गायब होने या देर से रिपोर्टिंग के कारण, कुशल श्रमिकों / पर्यवेक्षकों के लिए प्रति दिन 500/- रु. और अन्य के लिए 250/- रु. की कटौती हो सकती। यह संबंधित अनुपस्थित कर्मचारी के दैनिक वेतन में कटौती के अतिरिक्त होगा। इस संबंध में बैंक द्वारा अपने विवेक पर कटौती पर छूट दी जा सकती है।
- कार्यक्षेत्र में परिभाषित परिसंपत्तियों की क्लिनिंग/अनुरक्षण न करने हेतु कटौती के अंतर्गत निम्नानुसार अर्थदंड लगेगा:
  - क) बैंक के तिमाही में कीट नियंत्रण नहीं करने के लिए समानुपातिक आधार पर कीट नियंत्रण शुल्क घटाया जाएगा।
  - ख) एसी का अनुरक्षण न करने के लिए समानुपातिक आधार पर एसी अनुरक्षण शुल्क में कटौती की जाएगी।
  - ग) वाटर मोटर / पंखा / एग्जॉस्ट फैन / गीजर आदि के मामले में 50 रु. प्रति आस्ति।
  - घ) कार्यालय परिसर में तिमाही आधार पर सोफे, कुर्सियां, कालीनों की शैम्पू से धुलाई नहीं करने के लिए 5,000/- रु.

ङ) आगंतुक अधिकारी फ्लैट में कालीन की अच्छी तरह से सफाई नहीं करने के लिए 2,000/-रु.

च) सभी फ्लैट की तिमाही अच्छी तरह से सफाई नहीं करने के लिए 1,000/- रु.

छ) सभी फ्लैट में शौचालय की मासिक सफाई नहीं करने के लिये 300/-रु.

हालांकि, निवासी द्वारा नहीं दिए जाने के मामले में उपरोक्त अर्थदंड नहीं लगाया जा सकता है। इस छूट का दावा करने के लिए इस संबंध में दस्तावेजी साक्ष्य तैयार करना विक्रेता की जिम्मेदारी होगी।

- यदि शिकायत को 24 घंटे के भीतर निवारण नहीं किया जा रहा है तो शिकायत के निवारण हेतु सामग्री लागत के 10% के अर्थदंड की कटौती की जा सकती है।

किसी भी उपरोक्त दंड के संबंध में कटौती को बैंक द्वारा अपने विवेक से छूट दी जा सकती है।

www.nhb.org.in – What's New

अन्य निबंधन व शर्तों तथा प्रारूपों के लिए निम्नलिखित वेबसाइट पर जाएं:

किसी भी विवाद की स्थिति में दस्तावेज का अंग्रेजी संस्करण मान्य होगा।

XXXXXXXXXXX